कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पत्रांक– 2062 / Online -Etawah/UP-029/2015, दिनांक, लखनऊ, मई 19 2015.

सेवा में,

प्रमुख सचिव,
उ0प्र0शासन
वन अनुभाग–2
लखनऊ ।

विषय : जनपद इटावा में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–719 (पुराना राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या–92) के किमी0 60.000 से 69.850 तक (एस0एस0पी0 चौराहे से यमुना पुल तक) सड़क चौड़ीकरण हेतु **3.5847 हे0 आरक्षित वनभूमि एवं 4.1438 हे0 संरक्षित वनभूमि कुल 7.7285 हे0 वनभूमि** के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित वृक्षों के पातन की अनुमति ।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक–8बी / यूपी / 06 / 12 / 2015 / एफसी / 133, दिनांक 11.05.15

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें, जिसके द्वारा प्रकरण में कतिपय सूचनाओं / अभिलेखों को पूर्ण कर संशोधित प्रस्ताव उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्तानुसार प्रस्ताव संशोधित किये जाने की कार्यवाही सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थी।

मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर के पत्रांक–6051 / 14–1, दिनांक 19.05.15 द्वारा Manually correction कर **संशोधित प्रस्ताव** की प्रतियाँ इस कार्यालय को उपलब्ध करायी गयी हैं, जिसकी दो प्रतियाँ एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित की जा रही है, कि एक प्रति भारत सरकार के क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र, अलीगंज, लखनऊ को प्रेषित करने की कृपा करें।

प्रकरण में **दिनांक 28.05.15 को रीजनल इम्पावर्ड कमेटी की बैठक निर्धारित है।** ज्ञातव्य हो कि इस बैठक में लिये गये निर्णय के उपरान्त ही सम्बन्धित प्रकरण पर भारत सरकार, द्वारा वन(संरक्षण)अधिनियम–1980 के अन्तर्गत स्वीकृति प्रदान की जाती है। अतः सर्वोच्च प्राथमिकता प्रार्थनीय है।

संलग्नक:उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(अजय कुमार)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक– 2082 / ,उक्तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1– मुख्य वन संरक्षक, कानपुर मण्डल, कानपुर।
2– प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, इटावा।
3– अधिशासी अभियन्ता, राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लो0नि0वि0, इटावा।

19/5/15

(अजय कुमार)
मुख्य वन संरक्षक / नोडल अधिकारी,